



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 01.04.2024

मात्र 12 घण्टे में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.03.2024 को थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी द्वारा थाना भरथना पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिक पुत्री को अखिलेश कुमार बहला फुसलाकर खेत में ले गया और वहाँ जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। **सूचना पर तत्काल थाना भरथना पर मु0अ0सं0 79/2024 धारा 376AB भादवि0 व 5M/6**

पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में दिनांक 01.04.2024 को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी, इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 79/24 से संबंधित अभियुक्त बनामई मोड़ पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त अखिलेश कुमार को बनामई मोड़ से समय 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश कुमार पुत्र नवीन कुमार निवासी ग्राम मल्हौसी थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 79/2024 धारा 376 AB भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, निरीक्षक अपराध श्री नरेन्द्र कुमार मिश्र, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 मानसिंह।